भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 25
21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लंबित दावे

***25. श्रीमती भारती पारधीः**
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भारी वर्षा, सूखे और ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान के कारण बीमा कंपनियों के पास कुल कितने फसल बीमा दावे दायर किए गए हैं, स्वीकृत किए गए हैं और वर्तमान में कितने दावे लंबित हैं;
(ख) क्या केन्द्र सरकार ने लंबित दावों का त्वरित निपटान और किसानों के खातों में समय पर धनराशि जमा कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं अथवा कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की है;
(ग) बीमा कंपनियों द्वारा दावों को अस्वीकृत किए जाने के संबंध में बढ़ती शिकायतों की निगरानी करने और किसानों के विवादों का समाधान सुनिश्चित करने हेतु चलाए जा रहे विशेषीकृत केन्द्रीय तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(घ) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में पारदर्शिता लाने और फसल नुकसान का सटीक आकलन करने के लिए ड्रोन और रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी की तैनाती बढ़ाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और
(ङ) गत वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ऐसी बीमा कंपनियों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है जो जानबूझकर दावों के निपटान में विलंब करती हैं अथवा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लंबित दावे' के संबंध में दिनांक 21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 25 के भाग (क) से (ङ) का विवरण

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) मुख्यत: 'क्षेत्रगत दृष्टिकोण (Area Approach)' के आधार पर कार्यान्वित की जाती है, जिसमें संबंधित राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर दर्ज किए गए वास्तविक उपज के आंकड़ों में सीमा उपज (थ्रेशहोल्ड यील्ड) की तुलना में कमी के आधार पर तथा योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार सीजन समाप्ति पर दावों की गणना की जाती है। नामांकित किसान को दावा दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती। संबंधित राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपज में कमी के आधार पर नामांकित और पात्र किसानों के दावों की गणना स्वत: की जाती है।

तथापि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने एवं प्राकृतिक आग जैसे स्थानीयकृत जोखिमों तथा चक्रवात, चक्रवाती/असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण फसलोपरांत होने वाली नुकसान की गणना एकल बीमित खेत के आधार पर की जाती है। ऐसे मामलों में नुकसान की सीमा तथा दावों का आकलन योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर राज्य सरकार तथा संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों वाली संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है। इस स्थिति में, किसानों को नुकसान के 72 घंटे के अंदर टोल-फ्री नंबर यानी 1447 पर कॉल करके नुकसान की सूचना देनी होगी। इसके अलावा, फसल बीमा ऐप पर भी राज्य सरकार, बीमा कंपनी, संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्थान आदि को नुकसान सूचना दी जा सकती है।

मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में PMFBY तथा RWBCIS के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक रिपोर्ट किए गए, भुगतान किए गए तथा लंबित दावों का ब्यौरा (दिनांक 30.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार) निम्नानुसार है :

(रुपये करोड़ में)

राज्य	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे
मध्य प्रदेश	7,716.17	6,374.14	1,342.03
महाराष्ट्र	27,513.15	27,289.82	223.24

(ख): जी हां, योजना के अंतर्गत दावों के निपटान सहित प्रत्येक गतिविधि के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा इसे योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों में विधिवत उपबंधित किया गया है।

राज्य सरकारों को अधिसूचित क्षेत्र तथा फसलवार उपज को फसल कटाई प्रयोग (CCE) तथा यस-टेक के अंतर्गत प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान के आधार पर राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर अपलोड करना आवश्यक है। इसके पश्चात बीमा कंपनियाँ इन्हें स्वीकार करती हैं, जिससे NCIP पर दावों की गणना की जाती है। बीमा कंपनी को उन सभी मामलों में, जहां उन्हें भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों से प्रीमियम सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर दावों की गणना की तारीख से 21 दिनों के भीतर दावों का निपटान करना होता है।

दावा संवितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल शुरू किया गया है। इसमें सभी दावों की सामयिक एवं पारदर्शी प्रोसेसिंग हेतु राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) तथा बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।

(ग): चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, अत: बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों/परिवादों सहित सभी शिकायतों/परिवादों के समाधान के लिए, योजना के संशोधित प्रचालन दिशा-निर्देशों में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (DGRC), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (SGRC) की व्यवस्था की गई है। इन समितियों को शिकायतों/परिवादों की सुनवाई करने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान करने हेतु प्रचालन दिशा-निर्देशों में विस्तृत अधिदेश दिया गया है।

शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन (KRPH) को विकसित किया गया है। एक अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है तथा उसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें/समस्याएं बता सकते हैं। इन शिकायतों/समस्याओं के समाधान के लिए भी समय-सीमा निर्धारित की गई है।

(घ): PMFBY में योजना के कार्यान्वयन में उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, ऑब्जेक्टिव फसल क्षति एवं नुकसान आकलन और पारदर्शिता तथा उचित एवं सटीक फसल उपज आकलन में सहायता हेतु क्रमिक रूप से रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज आकलन की ओर बढ़ने के लिए खरीफ 2023 से यस-टेक (प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली) को कार्यान्वित किया जा रहा है। यह पहल धान एवं गेहूं की फसलों के लिए खरीफ 2023 तथा सोयाबीन फसल के लिए खरीफ 2024 सीजन से शुरू की गई है, जिसमें यस-टेक से प्राप्त उपज को उपज आकलन में अनिवार्य रूप से 30% वेटेज दिया गया है। तथापि, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने वर्ष 2025-26 में यस-टेक आधारित उपज को क्रमश: 100% तथा 50% वेटेज दिया है।

(ङ): योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों में दी गई समय-सीमा के अनुसार, बीमा कंपनियों को प्रीमियम सब्सिडी प्राप्त होने तथा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर दावों की गणना के 21 दिनों के भीतर दावों का निपटान करना होता है। यदि उपर्युक्त समय-सीमा के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है, तो खरीफ 2024 सीजन से NCIP के माध्यम से स्वत: गणना करके 12% का जुर्माना लगाया जाता है। विगत वर्ष के दौरान, राज्य सरकारों तथा बीमा कंपनियों के बीच उपज विवाद, आवेदकों के बैंक खाता विवरण में त्रुटि, राज्य सरकार से प्रीमियम सब्सिडी लंबित होने जैसे मामलों को छोड़कर, दावों का भुगतान निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया गया है।
